25.9.24 | पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित प्रकरण में वकील विपक्षी व विपक्षी उपस्थित नहीं प्रकरण में पूर्व में बहस सुनी जा चुकी है। प्रकरण में पुनः एकतरफा बहस सुनी गई। प्रा-पत्र अ-धा-212 RTA का स्वीकार किया जाता है। पत्रावली विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

[signature]

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

प्रार्थना पत्र संख्या ::– 10/2024

1. सत्तार मोहम्मद पिता कासम जी सोरगर मुसलमान निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
2. हुरमत बालू पुत्री कासम जी सोरगर मुसलमान निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ

प्रार्थीगण

बनाम

1. चांद मोहम्मद पिता कासम जी सोरगर मुसलमान निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ

विपक्षी

उपस्थित ::– श्री इफ्तेखार अजमेरी
अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री गोपाल लाल गुरूजी
अधिवक्ता विपक्षी

आदेश दिनांक ::– 09.10.2024

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण की तरफ से प्रकरण संख्या 61/2022 में प्रतिदावा (काउंटर क्लेम) प्रस्तुत किया है जो निश्चित ही डिकी होने योग्य है, यह काउंटरक्लेमकर्ता का पूर्ण विश्वास है।

यह कि मौजा खांसा का खेडा प.ह. बेगूँ में निम्नांकित कृषि आराजी दर्ज रेकार्ड है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
181 मी.	0.0940
182 मी.	0.6600
कीता–2 कुल रकबा	0.7440 हैक्टर

यह कि उपरोक्त वाद वर्णित एवं काउंटरक्लेम वर्णित आराजीयात में काउंटरक्लेमकर्ता सत्तार मोहम्मद व हुरमतबानू का हित निहित है और कुछ हिस्सा जमाबंदी में विपक्षी चांद मोहम्मद के नाम दर्ज है एंव विपक्षी चांद मोहम्मद को कासम जी सोरगर के पुत्र के रूप में दर्शा रखा है जबकि विपक्षी चांद मोहम्मद नूर मोहम्मद के गोद गया था इस कारण विपक्षी चांद मोहम्मदका कासम जी सोरगर के उत्तराधिकारियों में चांद मोहम्मद का हक हिस्सा नहीं बनता है। विपक्षी चांद मोहम्मद नूर मोहम्मद जी सोरगर का उत्तराधिकारी हैं।

यह कि काउंटरक्लेमकर्ता के परिवार का सजरा इस प्रकार है :–

अमीरदीन सौरगर

खातून	कासम	जैबुन	नूरमोहम्मद	करीमन	नजीर	जेतुन
			चांदमोहम्मद गोदपुत्र			
	वजीर चांद मो. गोदगया	अनार	हुरमत	सत्तार		
					मो.अली	रजिया सायरा कलसुम

इस प्रकार विपक्षी चांद मोहम्मद प्रार्थी काउंटरक्लेमकर्ता के पिता कासम जी की विरासत में हक नहीं रखता है। विपक्षी चांदमोहम्मद मृतक कासम जी की विरासत का हक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है न ही चांद मोहम्मद को इस हिस्से को बिना बंटवाडा किये इस हक हिस्से को बेचान करने का कोई अधिकार है।

यह कि विपक्षी बिना बंटवाडा किये संपति का स्ट्रेन्जर परचेजर को बेचाना चाहता है ओर कासम जी के हक हिस्से की भूमि को बेचने का विपक्षी चांद मोहम्मद को कोई हक अधिकार नहीं है। भूमि का जब तक विधिवत बंटवाडा नहीं हो जाता भूमि को किसी हिस्से का बेचान किया जाना हर प्रकार से गलत होकर विधि विरूद्ध है क्यो कि प्रत्येक इंच भूमि पर परिवार के प्रत्येक सदस्य का अधिकार होता है।

यह कि दिनिंक 25.01.2024 को विपक्षी ने धमकी दी है कि वह उसकी संपति को बेचकर रहेगा इस कारण प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर मजबूर होना पडा है। यह कि विपक्षी के परिवार वालो ने प्रार्थीगण के परिवार के साथ लडाई झगडा कर मारपीट कर संपति को बेचने की धमकीयां दी है।

यह कि प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से न्यायालय श्रीमान आप के समक्ष प्रस्तुत है।

अतःश्रीमान से प्रार्थना हे कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद फरमाया जावे कि जब तक वाद पत्र एवं काउंटरक्लेम का अंतिम निस्तारण नहीं

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चितौड़गढ़)

जावे तब तक विपक्षी वाद वर्णित भूमि मे से किसी हिस्से को रहन बेचान नहीं करें इसके लिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया, विपक्षी की ओर से उनके अधिवक्ता श्री गोपाल लाल गुरूजी द्वारा इस प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन इस प्रकार से किया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 पूर्ण रूप से अस्वीकार है क्यो कि मुझ विपक्षी को काउण्टरक्लेम की कोई जानकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 स्वीकर है। क्यो कि उक्त आराजीयात मौजा खासा का खेडा के आराजी नम्बर 181भी एवं 182 भी कुल रकबा 0.7440 हैक्टर मे मुझ विपक्षी का हक हिस्सा होकर काबिज हूँ।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 पूर्ण रूप से अस्वीकार है क्यो कि काउण्टरक्लेम में क्यो लिख कर दिया मुझे इसकी जानकारी नहीं है तथा विपक्षी चॉद मोहम्मद पिता कासम जी सोरगर (मुसलमान का जामन्दा) पुत्र हुँ। एवं विपक्षी चॉद मोहम्मद नुर मोहम्मद जी के गोद नहीं गया एवं नुरमोहम्मद जी ने चॉद मोहम्मद को गोद रखा नहीं रखा है। तथा प्रार्थीगण सत्तार मोहम्मद एवं हुरमत बानू ने मुझ विपक्षी की कब्जेसुदा जमीन को हडपने की नियत से गोद जाने की मनगढन्त कहानी बनाई है। तथा में चॉद मोहम्मद किसी के गोद नहीं गया। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 4 सजरा जो पेश किया वो पूर्ण रूप से गलत इस प्रकार है कि अमीरदीन जी मेरे दादा बा थे जिनकी मृत्यु हो गई हैं। अमीरदीन सोरगर के वंशावली में खातुन जेबून एवं करीमन बसीरन चार लडकिया थी जो चारो ही की मृत्यु हो गई एवं तीन लडके कमश कासम जी नुरमोहम्मद जी नजीर जी थे तीनो ही पुत्रो की मृत्यु हो गई, एवं कासम जी के चार पुत्र कमशः वजीर मोहम्मद , चॉद मोहम्मद, अनार मोहम्मद, सत्तार मोहम्मद एवं एक लडकी हुरमत बानु थी। इस प्रकार मे विपक्षी चॉद मोहम्मद कासम जी की संतान हूँ तथा नुरमोहम्मद जी के गोद नहीं गया तथा नुरमोहम्मद की एक मात्र संतान रईसा बानू थी। मुझ विपक्षी ने नुरमोहम्मद जी के कोई लडा नहीं होने से मेने सेवा की इस सेवा से खुश होकर नुरमोहम्मद जी की पत्नि रेहमत बानू ने मेरे पक्ष मे एक वसियत की जिसका प्रकरण जैरगोर है। नजीर जी की वंशावली का जो सजरा पेश किया वो सही है तथा अमीरदीन के जेतुन नाम की कोई लडकी या पत्नि नहीं थी प्रार्थीगण ने काल्पनिक व मनगढन्त सम्पत्ति हडपने की नियत से गलत सजरा बनाया है। एवं मै चांद मोहम्मद नुरमोहम्मद जी के गोद नहीं गया, इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 5 गलत है क्यो कि चॉद मोहम्मद मृतक कासम जी की संतान है। व संतान होने से कासम जी की जमीन व मकान आदि सम्पति में हिस्से अनुसार काबिज होकर उपयोग उपीोग कर रहा है एवं सम्पत्ति बाबत स्टे होकर मामला हाईकोर्ट जोधपुर में विचाराधीन है। कलम संख्या 6 अस्वीकार है क्यो कि विपक्षी कासम जी की संतान है व कासम जी को सम्पति में जो हक व अधिकार थे वो सब विपक्षी को प्राप्त है। कलम संख्या 7 व 8 अस्वीकार है तथा दिनांक 25.01.2024 काल्पनिक दिनांक है तथा विपक्षी ने प्रार्थीगण को कोई धमकी नहीं दी। एवं विपक्षी चॉद मोहम्मद कासम जी के हक हिस्से पर शान्ति पूर्वक काबिज होकर काश्त कररहा हैं।

कलम संख्या 9अस्वीकार है उक्त तथ्य काल्पनिक होकर अवैध है तथा कलम संख्या 10, 11 कानूनी जिसके जवाब की आवश्यकता नहीं। एवं कलम संख्या 12 प्रार्थना है जो पूर्ण रूप से अस्वीकार है। मुझ विपक्षी की अदम मौजूदगी मे कोई काउण्टर क्लेम पेश किया तो उसकी मुझे जानकारी नहीं है एवं फर्जी काउण्टरक्लेम पेश किया जो खारिज फरमाया जावें। तथा कासम जी सोरगर का जामन्दा पुत्र होने से मुझ विपक्षी कासम जी के हक हिस्से में काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा हूँ एवं आने वाले हक हिस्से में सभी अधिकार विपक्षी को प्राप्त है। व उसी अनुसार उपयोग उपभोग क र रहा है। जवाब प्रार्थना पत्र के विशेष कथन में निवेदन किया है कि विपक्षी कासम जी सोरगर का जामन्दा पुत्र हूँ एवं कासम जी की सम्पत्ति में जो मेरा हक हिस्सा है उसी अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा हूँ। एवं वजीर मोहम्मद लाऔलाद फोत हुआ। एवं वजीर मोहम्मद मुझ विपक्षी के पास रहता था उसी का खर्चा खाता सभी मैने किया। इसलिए वजीर मोहम्मद की सम्पत्ति का एक मात्र मालिक जरिये मुताबिक मुझे बनाया है।

यह कि प्रार्थीग्ण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे एवं विशेष हर्जाना प्रार्थीग्ण से मुझ विपक्षी को दिलाया जावे। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली में विपक्षी का जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर ध्यानपूर्वक सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस को प्रार्थना पत्र के अनुसार निवेदन करते हुए कहा कि जमीन फोरफादर (पुश्तैनी) होकर अमरदीन से जमीन आई है। यह कि चांद मोहम्मद नूर मोहम्मद व कासम जी दोनो की ही सम्पत्ति लेना चाहता है, जिसका उसको कोई कानूनी अधिकार नहीं है। चांद मोहम्मद नूरमोहम्मद का गोदपुत्र व कासम जी का जैविक पुत्र है। मेरा हक कासम जी की भूमि में है , वर्णित आराजी का विधिवत विभाजन नहीं हो जाता है तब तक विपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है कि वे आराजी का बेचान नहीं करें न करावें।

बहस में अधिवकता विपक्षी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार ही निवेदन करते हुए कहा कि पहले भी प्रकरण में अधिवक्ता अजमेंरी ही वकील थे, पत्रावली में ऐसा क्या दस्तावेज है कि चांद मोहम्मद नूर मोहम्मद का बेटा है, खसरे की नकल से चांद मोहम्मद कासम जी का लडका है, राशनकार्ड, आधार कार्ड आदि पेश किये है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का खारिज फरमाया जावें। पत्रावली में उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुने जाने के पश्चात हमारे द्वारा प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण द्वारा इस प्रार्थना पत्र पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज व मूल वादपत्र पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु मुख्य तीन बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व आर्थिक क्षति पर दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार निस्तारण किया जाना होता है, जो निम्न प्रकार से किया जाता है।

1– प्रथम दृष्टया मामला ::–

इस प्रार्थना पत्र पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा खांसा का खेडा प0ह0 बेगूँ सम्वत 2073 से 2076 का अवलोकन किया गया, आराजी संख्या 181 मी. रकबा 0.940 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री वजीर मोहम्मद चॉद मोहम्मद, अनार मोहम्मद, हुरमतबानू ,सत्तार मोहम्मद पिता कासम 1/3, नजीर मोहम्मद पिता अमीररूदीन 1/3(सोरगर) मुसलमान, मृदुल भारद्वाज पिता कैलाश चन्द्र शर्मा 1/3 सा.बेगूँ खातेदार दर्ज अंकित है। जमाबंदी मे नोट अंकित है कि ना.सं. 710 दिनांक 10.8.23 हकत्याग से हुरमत बानू पिता कासम के बजाय सत्तार मोहम्मद पिता कासम 2/15 जाति मुसलमान सा. बेगूँ के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। ना.सं. 685 दिनांक 09.05.22 विरासत से नजीर मोहम्मद पिता अमीरूदीन 123 सोरगर के बजाय श्री मोहम्मद अली रजिया बानू सायरा बानू पिता नजीर मोहम्मद कलसुम पत्नि स्व. नजीर मोहम्मद 1/3 सोरगर मुसलमान सा.बेगूँ के नाम दर्ज की गई। पत्रावली में नकल जवाब दावा बशीरन बनाम वजीर मोहम्मद वाद पत्र संख्या 2/2015 मे प्रस्तुत किये गये जवाब की नकल छायाप्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें बने सजरे का भी हमारे द्वारा अवलोकन किया, व प्रस्तुत जवाब का भी अवलोकन किया , परिवार राशन कार्ड की नकल का अवलोकन किया जिसमें जेतुन बानू सोरगर की माता प्यारीबाई पिता पीर मोहम्मद व पति चॉद मोहम्मद सोरगर अंकित है, तथा चॉद मोहम्मद सोरगर की माता रहमत बाई पिता नूर मोहम्मद पत्नि जेतुन बानू सोरगर दर्ज हे। पत्रावली मे प्रस्तुत स्थगन आदेश माननीय राज. हाईकोर्ट जोधपुर की प्रति का भी हमारे द्वारा अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि आराजीयात संयुक्त खातेदारी की अविभाजित आराजी है जिसका विभाजन होने के उपरान्त ही कृषि आराजी का विक्रय किया जाता है तो न्यायसंगत होगा, क्यो कि वादपत्र न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थीगण विपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के अधिकारी पाये जाते है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

2– सुविधा का सन्तुलन ::–

प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि आराजी मौजा खांसा का खेडा की आराजी संख्या 181 मी. रकबा 0.940 हैक्टर, 182मी. रकबा 0.6600 हैक्टर भूमि संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है जिसमें दर्ज खातेदारान का हिस्सा 1/3–1/3 दर्शाया गया है, उक्त कृषि आराजी का विभाजन अभी तक नहीं हुआ है, सभी सहखातेदार अपने अपने निहित हक हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है, विभाजन होने के उपरान्त ही स्थिती स्पष्ट हो सकेगी कि कौन कौन सी आराजी का हिस्सा किस किस खातेदार के हिस्से में आता है। विभाजन से पूर्व ही यदि कृषि आराजी में स्थित हक हिस्से को खुर्द बुर्द कर दिया जाता है तो निश्चित ही वादपत्र पर इसका असर पडेगा। ऐसी स्थिती में वाद के अंतिम निस्तारण तक कृषि आराजी को मुन्तकिल नहीं किये जाने हेतु रोका जाना न्यायसंगत होगा। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

3– अपूर्तनीय क्षति ::–

प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि आराजी मौजा खांसा का खेडा की आराजी संख्या 181 मी. रकबा 0.940 हैक्टर, 182मी. रकबा 0.6600 हैक्टर भूमि संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है, जिसका विभाजन नहीं हुआ है, विभाजन से पूर्व ही यदि आराजी मे निहित हक हिस्से का विक्रय किसी खातेदार द्वारा किया जाता है तो वर्णित कृषि भूमि में अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का आंकलन दिक्कत होती है क्यो कि संयुक्त खातेदारी की प्रत्येक इंच भूमि पर सभी सहखातेदारान का हक हिस्सा निहित होता है। यदि विभाजन से पूर्व ही कृषि आराजी को विक्रय कर खुर्द कर दिया जाता है तो निश्चित ही आर्थिक क्षति प्रार्थीगण को होती है। इस प्रकार यह बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है।

प्रस्तुत सभी दस्तावेज एवं साक्ष्य के अनुसार प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु मुख्य तीन बिन्दुओं का निर्णय प्रार्थीगण के पक्ष में हुआ है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाता है कि वे न्यायालय में विचाराधीन वादपत्र एव काउंटरक्लेम के अंतिम निस्तारण तक मौजा खांसा का खेडा की आराजी संख्या 181 मी. रकबा 0.940 हैक्टर, 182मी. रकबा 0.6600 हैक्टर भूमि मे से किसी हिस्से को रहन बेचान नहीं करें।

आदेश आज दिनांक 09.10.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनीषी नरेश)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ